एसी:05:01	**अध्यक्ष द्वारा सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान**

[कार्यबिंदु:

05.01.1 अध्यक्ष जी से सदन की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया।]

कार्यवृत्त:

05.01.1 प्रो. महेंद्र पी लामा, कुलपति (अध्यक्ष) ने बैठक की अध्यक्षता की और सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान किया।

एसी:05:02	**मृत्यु सूचना**

[कार्यबिंदु:

05.02.1 श्रीमती बी.पी. सिंह, पत्नी- महामहिम राज्यपाल, सिक्किम की मृत्यु की सूचना को गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सदन में सुनाया गया।]

कार्यवृत्त:

05.02.1 सदन ने श्रीमती बी.पी. सिंह, पत्नी- महामहिम राज्यपाल, सिक्किम के देहावसान को गहरी संवेदना के साथ ज्ञापन किया।

05.02.2 शैक्षणिक परिषद ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में एवं श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन रखा और शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाओं एवं सहानुभूति से अवगत कराया।

एसी:05:03	**डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह आयोजन पर अध्यादेश**

[कार्यबिंदु:

05.03.1 सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्राथमिक संविधि के खंड 32 के अनुसार डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि अध्यादेश में कहा गया है। सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राथमिक संविधि के खंड 40(2) के अनुसार खंड 30 के उपखंड 1 के संबंध में कोई भी अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि खुद शैक्षणिक परिषद ने उस अध्यादेश के मसौदा को प्रस्तावित नहीं किया हो।]

05.03.2 उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन पर मसौदा अध्यादेश **अनुलग्नक-ए** पर सदन के विचारार्थ एवं शैक्षणिक परिषद की सिफारिश हेतु संलग्न है। समय की कमी के कारण शैक्षणिक परिषद का अनुमोदन कार्येत्तर प्राप्त किया जा सकता है।

एसी:05:01	**अध्यक्ष द्वारा सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान**

05.03.3 शैक्षणिक परिषद कृपया इसे विचारोपरांत अनुमोदित करे।]

कार्यवृत्त:

शैक्षणिक परिषद ने अपने समक्ष रखे अध्यादेश के मसौदे पर विचार किया और कार्यकारी परिषद से इसकी स्वीकृति की सिफारिश की।

एसी:05:04	**डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह आयोजन पर विनियम**

[कार्यबिंदु:

05.04.1 सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्राथमिक संविधि के खंड 32 के अनुसार डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि अध्यादेश में कहा गया है। सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राथमिक संविधि के खंड 40(2) के अनुसार खंड 30 के उपखंड 1 के संबंध में कोई भी अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि खुद शैक्षणिक परिषद ने उस अध्यादेश के मसौदा को प्रस्तावित नहीं किया हो

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के खंड 40(1) (III) के अनुसार शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद अधिनियम, संविधि और अध्यादेश के अनुरूप सभी मामलों के लिए खासकर ऐसा कोई प्राधिकार या कमिटी गठित करने हेतु विनियम बना सकती है जोकि ऐसे अधिनियम, संविधि या अध्यादेश में वर्णित नहीं है पर उसके द्वारा गठित है।

05.04.2 डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु दीक्षांत समारोह के आयोजन पर अध्यादेश का मसौदा परिषद के समक्ष अनुमोदन एवं कार्यकारी परिषद की सिफारिश हेतु कार्यबिंदु में प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त अध्यादेश के अनुरूप डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु दीक्षांत समारोह के आयोजन पर विनियम का मसौदा **अनुलग्नक बी** पर प्रस्तुत है।

05.04.3 शैक्षणिक परिषद उक्त पर विचार कर अनुमोदित करे।]

कार्यवृत्त:

शैक्षणिक परिषद ने अपने समक्ष प्रस्तुत विनियम के मसौदे पर विचार किया और कार्यकारी परिषद से इसकी स्वीकृति की सिफारिश की।

एसी:05:05	**गोल्ड मेडल प्रदान करने हेतु विनियम**

[कार्यबिंदु:

05.05.1 सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के खंड 40(1) (III) के अनुसार विश्वविद्यालय के प्राधिकार यथा, शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद इस उद्देश्य हेतु अधिनियम, संविधि और अध्यादेश के अनुरूप खासकर ऐसा कोई प्राधिकार या कमिटी गठित करने हेतु विनियम बना सकती है जोकि ऐसे अधिनियम, संविधि या अध्यादेश में वर्णित नहीं है पर उसके द्वारा गठित है।

05.05.2 उपर्युक्त क्रम सं. 3 एवं 4 पर वर्णित प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड 30(1) में प्रस्तावना अनुसार डिग्री प्रदान करने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु दीक्षांत समारोह पर अध्यादेश बनाया गया।

05.05.3 उपर्युक्त क्रम सं. 5 पर वर्णित प्रावधानों के अनुरूप गोल्ड मेडल प्रदान करने हेतु टॉपर की पहचान पर विनियम अनुलग्नक-सी पर प्रस्तावित है जिस पर शैक्षणिक परिषद की सिफारिश और कार्यकारी परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

05.05.4 शैक्षणिक परिषद उक्त पर विचार कर अनुमोदित करे।]

कार्यवृत्त:

शैक्षणिक परिषद ने कार्यबिंदु पर विचार करते हुए सलाह दी कि विनियम के खंड 4 जोकि प्रायोजक से संबंधित है, में इस हद तक संशोधन किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय अकादमिक/अन्य उद्देश्यों के लिए गोल्ड मेडल हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्रायोजन को स्वीकार कर सकता है और इसके लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन कुलपति को किया जाता है। इस संशोधन के साथ शैक्षणिक परिषद द्वारा विनियम के कार्यकारी परिषद से अनुमोदन हेतु सिफारिश की गई।

एसी:05:06	**स्कूल एवं विभाग की स्थापना पर संविधि**

[कार्यबिंदु:

05.06.1 जैसा कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के खंड 29(1) के अनुसार प्रथम संविधि अधिनियम (प्राथमिक संविधि) की अनुसूची में वर्णित है। उसी तरह, अधिनियम के खंड 30(2) के अनुसार प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर बनाया जाएगा और ऐसे अध्यादेश में संशोधन, निरसन या योजन कार्यकारी परिषद द्वारा संविधि में वर्णित विधियों के अनुरूप कभी भी किया जा सकता है।

05.06.2 उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित प्रथम अध्यादेश- विभागों का स्कूलों में समनुदेशन (अध्यादेश सं. 4) अनुलग्नक-डी कुलपति द्वारा बनाया गया और उस पर विजिटर की सहमति हेतु एमएचआरडी के समक्ष अग्रसारित किया गया। जिस पर एमएचआरडी ने कहा कि इससे पहले स्कूल और विभागों की स्थापना पर संविधि बनाया जाए और उसकी विजिटर से सहमति प्राप्त की जाए।

05.06.3 खंड 29(1) के अनुसार कार्यकारी परिषद समय-समय पर नया विनियम या उसका संशोधन या निरसन कर सकती है जैसा कि खंड 29 के उपखंड 1 में वर्णित है। प्राथमिक संविधि के खंड 14 के अनुसार शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की अकादमिक नीतियों के पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत है और अध्यापन के तरीके, अध्यापन समन्वय, अकादमिक सुधार एवं मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश जारी सकती है। अधिनियम के खंड 28(1) के अनुसार स्कूलों, विभागों, केंद्रों, हॉल, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना हेतु संविधि होनी चाहिए।

05.06.4 उपर्युक्त प्रावधानों एवं एमएचआरडी के निर्देशानुसार सदन द्वारा कुलपति को स्कूलों एवं विभागों की स्थापना हेतु संविधि के मसौदा बनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है जिसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदन उपरांत विजिटर की सहमति प्राप्त करने के लिए एमएचआरडी को अग्रसारित किया जाए।

05.06.5 सदन कृपया प्राधिकृत करे।]

<u>कार्यवृत्त:</u>

शैक्षणिक परिषद ने कार्यबिंदु पर विचार करते हुए एमएचआडी के निर्देशानुसार स्कूलों एवं विभागों की स्थापना हेतु संविधि के मसौदा बनाने हेतु कुलपति को प्राधिकृत किया।

एसी:05:07	**पहले दीक्षांत समारोह में डिग्री ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की सूची**

<u>[कार्यबिंदु:</u>

05.07.1 दिनांक-16.04.2010 को होने वाले पहले दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति द्वारा एम.एड के 13, बी.लिब के 18 एवं बी.एड के 195 अभ्यर्थियों को डिग्री प्रदान किए जाएंगे जिसकी सूची अनुलग्नक-ई पर है।

05.07.2 शैक्षणिक परिषद कृपया इसे नोट करे।]

कार्यवृत्त:

शैक्षणिक परिषद द्वारा कार्यबिंदु अनुमोदित कर दिया गया। हालांकि यह सुझाव दिया गया कि भविष्य में विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करने के बजाय केवल विषयवार उनकी संख्या दी जाए।

एसी:05:08	**शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक**

[कार्यबिंदु:

05.08.1 जैसा कि पहले ही माननीय सदस्यों को सूचित किया जा चुका है कि परिषद की अगली बैठक 08.05.2010 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। पिछली बैठक में यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि विश्वविद्यालय मई, 2010 में दो निरीक्षण कमेटी नियुक्त करेगी जोकि शैक्षणिक परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में कार्य करेगी और यह कमेटी कॉलेज जो संबद्धता के लिए या कोर्स की संबद्धता के लिए आवेदन करेगी उस हेतु निरीक्षण करेगी।

5.08.2 सदन से अनुरोध है कि ऐसे सदस्य को नामित करे और निरीक्षण तिथि भी प्रस्तावित करे।]

कार्यवृत्त:

शैक्षणिक परिषद ने डॉ. नीलिमा देशमुख एवं डॉ. जी एस योनजोन को निरीक्षण दल की अध्यक्षता हेतु नामित किया। यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक 2.6.2010 को नई दिल्ली में आयोजित की जाए।

एसी:05:09	**अन्य कोई मद अध्यक्ष जी की अनुमति से**

कार्यवृत्त:

5.09.1 अन्य कोई मद न होने की वजह से अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त कर दी गई।

हस्ताक्षर/-

(पीवी रवि)
कार्यवाहक रजिस्टार एवं वित्त अधिकारी,
सचिव, शैक्षणिक परिषद